विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–1652/XII(1)1/15–86(19)/2015 दिनांक 21 सितम्बर 2015 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनॉक 21 अक्टूबर 2015 तथा दिनॉक 03 नवम्बर 2015 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के कम में जनपद हरिद्वार की 308 ग्राम पंचायत प्रधानों तथा उनके ग्राम पंचायत सदस्यों, व 06 विकास खण्डो के अन्तर्गत 221 क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा जनपद हरिद्वार की 47 जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों एंव 06 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के पदों एवं स्थानों का आरक्षण करतें हुए अनन्तिम प्रकाशन की विज्ञप्ति सूची पत्रांक 845 दिनांक 14/11/2015 के द्वारा जनसाधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित करते हुए आपत्तियां मांगी गई थी। अनन्तिम प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 17 व 18 नवम्बर 2015 को करते हुए आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अन्तिम आरक्षण सूची तैयार की गई है।

अतः मैं जिलाधिकारी, हरिद्वार जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्रो के आरक्षण की **अन्तिम सूची** संलग्नक 01 से 05 के अनुसार प्रकाशित करता हूँ। यह सूची www.haridwar.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1. ग्राम पंचायत सदस्य आरक्षण सूची
2. ग्राम पंचायत प्रधान आरक्षण सूची
3. क्षेत्र पंचायत सदस्य आरक्षण सूची
4. क्षेत्र पंचायत प्रमुख आरक्षण सूची
5. जिला पंचायत सदस्य आरक्षण सूची

संलग्न–यथोपरि।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

पत्रांक 855/पं0–7/अन्तिम/आरक्षण/2015–16 दिनांक 19 नवम्बर,2015

प्रतिलिपि–

1– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पदो और स्थानो के **अन्तिम आरक्षण** सूची विकास खंण्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करे।

2– समस्त तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार को उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने स्तर से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

3– जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी हरिद्वार को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– जिला सूचना अधिकारी, जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ की विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में जनसाधारण के सूचनार्थ निःशुल्क जनहित में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करे।

5– प्रभारी अधिकारी, कलक्ट्रेट हरिद्वार।

6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि जनपद की वेवसाईट www haridwar.gov.in पर उक्त विज्ञप्ति को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

7– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।

8– कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।